वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 247/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-10.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 10.07.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना अहरौला: दो स्थानों पर भीम राव अम्बेडकर जी प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना

(A) दिनांक 04.07.2025 को वादिनी ग्राम प्रधान सुशीला पत्नी राजकुमार ग्राम प्रधान पूरबपट्टी न्याय पंचायत भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि ग्राम पंचायत पूरब पट्टी के अम्बेडकर पार्क मे बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडक जी की प्रतिमा ग्राम वासियों के सहयोग से 10 साल पहले लगवायी गयी थी, जिसको दिनांक 04.07.025 रात लगभग 1 बजे के बाद अराजक तत्वों द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 256/25 धारा 298 बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा द्वारा सम्पादित की जा रही है।

(B)….

दिनांक 04.07.2025 को आवेदक राधेश्याम पुत्र रामकिशुन (ग्राम प्रधान के लड़के) निवासी ग्राम खादारामपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि मेरी ग्रामसभा मे स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को दिनांक 3/4.7.2025 की रात मे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया, वादी की तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 257/25 धारा 298 बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1. अभिषेक यादव उर्फ तूफानी पुत्र रामबली यादव निवासी भीमलपट्टी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. त्रिवेणी यादव पुत्र रामधारी यादव निवासी किठाये थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 3. धीरज कुमार पुत्र हरीराम निवासी बेलवा विशुनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 4. संतोष कुमार यादव पुत्र रामहरी यादव निवासी सिकन्दरपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ 5. एक अन्य अज्ञात व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 10.07.2025 को उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त धीरज कुमार पुत्र हरीराम निवासी बेलवा विशुनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को अण्डरपास खादारामपुर के पास से समय करीब 09.25 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1-मु0अ0सं0 256/25 धारा 298/61(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 257/25 धारा 298/61(2) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1- धीरज कुमार पुत्र हरीराम निवासी बेलवा विशुनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण..........

1-उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा मय हमराह का0 विशाल सोनकर व का0 अश्वनी कुमार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

02. थाना फूलपुरः दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 27.06.2025 को मुकदमा वादिनी थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ ने लिखित सूचना दिया कि दिनाँक 24.06.25 समय लगभग 7 बजे शाम अपने खेत मे शौच करने गयी थी तो विपक्षी मिथलेश यादव पुत्र रामदरस यादव द्वारा वादिनी को पकडकर गन्ने के खेत में ले जाकर अश्लील हरकत की गयी, विरोध करने पर जान से मारने व अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर देने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ पर मु0अ0सं0--315/25 धारा 74/351(3) बीएनएस बनाम मिथलेश यादव पुत्र रामदरस यादव सा0 किठावे थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ के पंजीकृत है। जिसकी विवेचना उ0नि0 अभिषेक मिश्रा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौरान विवेचना पीडिता के धारा 180 व 183 बीएनएसएस के बयान व मेडिकल के आधार पर धारा 64 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 10.07.2025 को उ0नि0 अभिषेक मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मिथिलेश यादव उर्फ करिया पुत्र रामदरश यादव निवासी ग्राम किठावें थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को सुदनीपुर मोड़ के पास से समय करीब 12.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. मिथिलेश यादव उर्फ करिया पुत्र रामदरश यादव निवासी ग्राम किठावें थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 315/25 धारा 64/74/351(3) बीएनएस थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 अभिषेक मिश्रा मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़

03.थाना अहरौला: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का विवरण-

अवगत कराना है कि आज दिनाँक 10.07.2025 को उ0नि0 रंजन कुमार साव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान बरामदपुर पुलिया पास से एक व्यक्ति विवेक यादव पुत्र स्व0 सुरेशचन्द यादव निवासी किठावे थाना फुलपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 28 वर्ष को एक अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय 04.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 265/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग......

1-मु0अ0सं0 265/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

1-विवेक यादव पुत्र स्व0 सुरेशचन्द यादव निवासी किठावे थाना फुलपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी-

1- एक अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास.........

1. मु0अ0सं0 024/2022 धारा 411/420/473 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 025/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 090/2023 धारा 504/507 भादवि व 3(1)(द)/3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 101/2015 धारा 147/323/325/504/506/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 133/2015 धारा 323/504/506 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 005/2014 धारा 147/148/308/323/506 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम.....

1-उ0नि0 रंजन कुमार साव मय हमराह उ0नि0 विश्राम गुप्ता व हे0का0 सतीष कुमार गौड, का0 उमेश गौड थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

04.थाना – कन्धरापुरः किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.07.2025 को वादी मुकदमा कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ने थाना आकर एक प्रा0पत्र दिया कि दिनांक 8/7/2025 को वादी की पुत्री उम्र 13 वर्ष दोपहर 12 बजे खेत की तरफ जा रही थी, घर के पीछे विपक्षी चन्द्रभान राम पुत्र स्व0 समुझ राम द्वारा जबरजस्ती पकड़कर दुष्कर्म किया गया, लडकी चिल्लाने लगी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया, के सम्बंध में थाना कंधरापुर पर मु0अ0स0-231/2025 धारा 65(1)/115(2)/351(3)बीएनएस व 4(II)पाक्सो एक्ट बनाम- चन्द्रभान राम पुत्र स्व0 समुझराम निवासी कन्धरापुर खजुहिया थाना कन्धरापुर आजमगढ़ के विरूद्ध दिनांक 09.07.2025 को पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 10.07.2025 को प्र0नि0 कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चन्द्रभान राम पुत्र स्व0 समुझराम निवासी खजुहिया कन्धरापुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष को मन्दुरी तिराहा के पास से समय करीब 07.10 AM बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0-213/2025 धारा 65(1)/115(2)/351(3)बीएनएस व 4(II)पाक्सो एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1-चन्द्रभान राम पुत्र स्व0 समुझराम निवासी खजुहिया कन्धरापुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 कृष्ण कुमार गुप्ता कुमार 2. हे0का0 नौशाद अहमद 3. का0 सुजीत शर्मा थाना कन्धरापुर आजमगढ़।